न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 165/2022

हरदीप सिंह उम्र 34 वर्ष पुत्र मखन सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1. सजन सिंह उम्र 85 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
2. मक्खन सिंह उम्र 62 वर्ष पुत्र सजन सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ ।
3. मोहन सिंह उम्र 79 वर्ष पुत्र प्रताप सिंह(फौत) | जाति कुम्हार साकिन गली नं. 6 वार्ड
   3/1. अंग्रेजकौर पत्नी मोहनसिंह | संख्या 25 हनुमान मन्दिर के पास, संगरिया
   3/2. सिकन्दरपाल कौर पुत्री मोहनसिंह | तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. हरमेश सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र सोहन सिंह जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
5. कुलदीप सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र सोहन सिंह जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
6 सुखदेव सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र सज्जन सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. मरी उम्र 54 वर्ष पत्नि हरदीप सिंह पुत्र मिठुसिंह जाति कुम्हार साकिन मिठडी बुद्वगीर तह. मलोट जिला मुक्तसर पंजाब ।
8. वीरपाल कौर उम्र 52 वर्ष पत्नि बलदेव सिंह पुत्र मिठुसिंह जाति कुम्हार साकिन मिठडी बुद्वगीर तह. मलोट जिला मुक्तसर पंजाब
9. गुरदीप सिंह पुत्र मखन सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. परमजीत कोर पत्नि मखन सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
11. मंगत सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति कुम्हार सिंख साकिन गली न. 6 वार्ड संख्या 25 हनुमान मन्दिर के पास, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. अमृतपाल पुत्र जीत सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
13 हरदास सिंह पुत्र तेज सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
14. बलकार सिंह पुत्र तेज सिंह जाति कुम्हार साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
15. रेशमी देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
16. महावीर पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
17. शकुन्तला देवी पत्नि सुनील कुमार जाति जाट साकिन भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
18. पंजाब नैशनल बैंक, शाखा दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

19. राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा 24 जेआरके गोलुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
20. स्टेट जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
21. स्टेट जरिये तहसीलदार संगरिया जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सोहन लाल सुथार — प्रार्थी
2. श्री जगजीत सिंह रमाणा — अप्रार्थी सं. 1, 6 ता 8, 3/1, 3/2, 11
3. श्री संजीव आहुजा —अप्रार्थी संख्या 2, 9, 10 व 19
4. श्री संदीप सैन — अप्रार्थी संख्या 5
5. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 20
6. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 21
7. अप्रार्थी संख्या 4, 12 ता 18 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 29.11.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा चुका है जिसमें सफलता की पूरी संम्भावना है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के सजरा खानदान प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 के पूर्वज प्रताप सिंह पुत्र दुलासिंह के नाम भाई का झुम्मा तहसील गिदडवाह, पंजाव में कृषि भूमि थी जो पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई थी। जिसका विक्रय प्रतापसिंह ने दिनांक 23.2.1972 को बैय करके उससे प्राप्त प्रतिफल से दिनांक दिनांक 17.5.1972 को चक 5 यू एम डब्ल्यु तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 187/137 के प.न. 22/313 को किला न. 6 ता 15 की 2.530 हैक्ट. नहरी मय खाता व प.न. 23 / 213 (42) के किला न. 8 ता 16 की 2.277 हैक्ट. नहरी मय खाला व प.न. 24/213 (43) के किला न. 20/0.253 हैक्ट. नहरी कुल 5.060 हैक्ट. कृषि भूमि अपने पुत्रों सजन सिंह, मोहन सिंह व सोहन सिंह के नाम खरीद कर के दी थी जिसकी समस्त प्रतिफल प्रताप सिंह द्वारा झुमा तहसील गिदडवाह की बैय की गई भुमि से प्राप्त रकम से अदा किया गया था। फोटो प्रति बैयनामा दिनांक 23.2.1972 बैय व दिनांक 17. 5.1972 को खरीद की गई बैयनामा की संल्गन वाद पत्र है। जमाबन्दी चक 5 युएमडब्ल्यु सल्गन वाद पत्र है ।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 11 के पुर्वज प्रताप सिंह ने चक 5 एच आर पी तहसील संगरिया में वर्तमान खाता संख्या 33/19 के प.न. 177/111 (27) में किला न. 14/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.253, = 1.0120 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला दिनांक 14.6.1967 को अपनी पैतृक सम्पति से कि गई आमदनी से अपने तीनों पुत्रों सजन सिंह, मोहन सिंह व सोहन सिंह के नाम से खरीद की थी [illegible] सिंह से मिन प्रतिपर्थी ने 0.337 हैक्ट. भुमि जरिये बैयनामा खरीद की थी [illegible] प्रार्थी के नाम 337/1012 हैक्ट. खातेदारी दर्ज है। फोटो प्रति बैयनामा 14.6.1967 [illegible] की सल्गन वाद पत्र है तथा जमाबन्दी चक 5 एचआरपी तहसील संगरिया सल्गन वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 के पूर्वज प्रताप सिंह के नाम से चक 3 एस टी पी तहसील संगरिया में वर्तमान खाता संख्या 104/81 के प.न. 179/118 (17) के किला न. 5/0.253 हैक्ट., 6/0.253 हैक्ट. तथा प.न. 180/118 (18) किला न. 1/1/0.190, 9/0.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

253, 10/0.253 हैक्ट. इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल 1.2020 हैक्ट. नहरी खातेदारी थी को प्रताप सिंह ने विरासतन से प्राप्त आमदनी से अपने तीनों पुत्रों सजन सिंह, मोहन सिंह व सोहन सिंह के नाम से खरीद की गई तथा इन्तकाल भी करवाया गया था। जमाबन्दी चक 3 एस टी पी तहसील संगरिया सलग्न वाद पत्र है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 के पूर्वज प्रताप सिंह केएसडी तहसील संगरिया में वर्तमान खाता संख्या 160/149 के प.न. 168/114 (45) के किला न. 14, 17, 18 = 0.759 हैक्ट., 169/113 (39) के किला न. 23, 24 = 0.5060, प.न. 169/114 (46) के किला न. 13 ता 18, 24, 25 = 2.024 हैक्ट., 169/115 (53) के किला न. 5/1, 5/2 = 0.2530 हैक्ट., 170/115 (52) के किला न. 1 = 0.253 हैक्ट. कुल 3.7950 हैक्ट. नहरी, बारानी व गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी को अपने तीनों पुत्रों सजन सिंह मोहन सिंह व सोहन सिंह के नाम से इन्तकाल किया गया था । जमाबन्दी चक 1 के एस डी तहसील संगरिया संल्गन वाद पत्र है।

यह कि उपरोक्त वाद पत्र के पैरा 2 ता 5 में क्रमशः 5 यु एम डब्ल्यू तहसील पीलीबंगा की 5.060 हैक्ट., चक 5 एचआरपी तहसील संगरिया कि कुल 1.012 हैक्ट. व चक 3 एसटीपी तहसील संगरिया में कुल 1.202 हैक्ट. व चक 1 के एस डी तहसील संगरिया की कुल 3. 795 हैक्ट. भुमि इस प्रकार चारों चकों कि कुल 11.067 हैक्ट. नहरी बारानी मय गैर मुमकिन खाला रास्ता में मिकर के दादा सजन सिंह व पिता मक्खन सिंह के साथ मिन प्रार्थी को जन्म से हक व अधिकार निहित है कि परदादा प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1 सजन सिंह जो प्रार्थी का दादा है ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके कुल भुमि में 1/3 हिस्सा अपने नाम करवा लिया व तत्तपश्चात अपने नाम की खातेदारी दर्ज कृषि भुमि का फायदा उठाते हुऐ अपने हिस्सा से अधिक भुमि को अप्रार्थीगण को अलग अलग समय में बैय कर दी जो प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इस प्रकार से शुन्य बैयनामों के कारण प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मिकर प्रार्थी को अपने पिता व दादा के साथ ही कुल 11.067 मिकर के दादा सजन सिंह को 1/3 हिस्सा 3.689 हैक्ट. हिस्सा मिला था जिसमें से मिन हिस्सा में प्रार्थी के पिता मक्खन सिंह पुत्र सजन सिंह को 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा यानि 0. 7378 हैक्ट. हिस्सा का हक है जिसमें मिन प्रार्थी का 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा 0.2459 हैक्टयर हिस्सा है। मिन प्रार्थी का अपने पिता मक्खन सिंह के कब्जा काश्ता चक 5 यु एम डब्ल्यु तहसील पीलीबंगा के प.न. 22/313 के किला न. 13, 14, 15 में 1/3 हिस्सा का कब्जा है। मिन प्रार्थी व मिकर की माता परमजीत कौर तथा भाई गुरदीप सिंह के द्वारा जरिये बैयनामा चक 5 एच आर पी की भुमि खरीद की थी जिसमें मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण परमजीत कोर व गुरदीप सिंह का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त है। जिस पर मिन प्रार्थी शान्ति पूर्वक काश्त करता रहा है। मिन प्रार्थी अपने हिस्से के अनुसार व कब्जा काश्त के हिस्से अनुसार खातेदारी प्राप्त करना चाहता है व उसी अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहता है। चुंकि भूमि स्पष्ट रूप से पैतृक है जिसमें मिन प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार है इसलिए प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है । भुमि में मिकर का हक हिन्दु परिवार का सदस्य होने से सुविधा का सन्तुलन मि... में है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा मेरे हक व हिस्सा की भुमि बैय कर दी ... मिन प्रार्थी का न पुरा होने वाला नुकशान होगा। अतः प्रार्थना पत्र ... वाद पत्र के निस्तारण तक मौका व रिकार्ड की यथा स्थिती बनाये रखे, भुमि को रहन व बैय नहीं करें व कब्जा में किसी प्रकार से दखल ने देने के आदेश पारित किये जावें, श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट एक पक्षिय बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्त श्री जगजीत सिंह रमाणा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 6 ता 8 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है संलग्न वाद है। अप्रार्थी संख्या 2, 9, 10 व 19 की ओर से श्री संजीव आहुजा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है संलग्न वाद पत्र है। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 12 ता 17 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। वाद पत्र पर वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 ता 9 के मध्य राजीनामा तस्दीक हो चुका है संलग्न वाद पत्र है।

अप्रार्थी संख्या 3/1, 3/2, व 11 की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता वाद पत्र में हाजिर आये वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वकालतनामा संलग्न वाद पत्र है ।जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 3/1, 3/2, व 11 की ओर से निम्न प्रकार से हैः– यह कि प्रार्थी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत होना मात्र स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को सफलता की कोई आशा नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित सजरा खानदान दुला सिंह व प्रताप सिंह का सजरा खानदान अधुरा पेश किया है इस कारण अस्वीकार हैं दुलासिंह के वारिसों को सजरी खानदान मे नही दर्शाया है व प्रताप सिंह के सभी वारिसो को नहीं दर्शाया है इस कारण प्रार्थना पत्र सभी पक्षकारो को बिना संयोजित किए आधा अधूरा पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें। प्रताप सिंह की पुत्री मिठो को सजरा खानदान मे नही दर्शाया है न ही उसके किसी वारिस को सजरा 1027 खानदान में दर्शाया है प्रताप सिंह के वारिसों को छुपाकर प्रार्थना पत्र अपने हितो के वशिभूत होकर अविधिक रूप से प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह किं प्रार्थना पत्र की दफा 3 को प्रार्थना पत्र की दफा 2 गलत रूप से दर्शाया गया है इस दफा में वर्णित कथन किए कि प्रताप सिंह पुत्र दुलासिंह के नाम भाई का झुम्मा तहसील गिदडवा पजांब मे पैतृक कृषि भूमि हो जिसका विक्रय प्रताप सिंह द्वारा किया जाकर उस प्रतिफल राशि से चक 5 यू एम डब्लयू तहसील पीलीबंगा खाता सं. 187/137 के प.नं. 22/313 के किला नं. 6 ता 15 की कुल 2.530 हैक. व प.नं. 23/213 के किला नं. 8 ता 16 की कुल 2.277 हैक्ट. व प.नं. 24/213 के किला नं. 20 की कुल 5.060 हैक. अपने पुत्रो सजन सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह के नाम खरीद कर दी हो कतई असत्य अविधिक व मनढत होने से अस्वीकार है । कृषि भूमि प्रताप सिंह के द्वारा कभी भी खरीद कर नही दी गई बल्कि सजन सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह ने कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा है खरीद के समय से ही कृषि भूमि सजन सिह, मोहन सिंह, सोहन सिंह के नाम बैयनामा की रूह से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिरकार्ड है जिसके अकेले अपनी जिवित अवस्था मे सजन सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह मिन अप्रार्थीगण, मोहन सिंह जिस[illegible] चुकी है के विधिक वारिस है मोहन सिंह का चक 5 यू एम [illegible] 187/137 [illegible] कुल 5.060 हैक. मे 1687/5060 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो मिन अप्रार्थीगण [illegible] हिस्सा बराबर अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है मिन अप्रार्थी सं. 11 जिसका – 1/10 अप्रार्थी सं. 11 के नाम अनवरत रूप से दर्ज रिकार्ड है। बाकी कथन अस्वीकार है। 2. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 प्रार्थी ने गलत रूप से दर्शाई है इस दफा में वर्णित कृषि भूमि की प्रताप सिंह ने चक 5 एच आर पी के खाता सं. 33/19 के प.नं. 177/111 के किला नं. 14

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ता 17 की कुल 1.012 हैक. गैर मु. खाला कृषि भूमि दिनांक 14.06.1967 को अपनी पैतृक सम्पति की आय से अपने पुत्रो सजन सिहं, मोहन सिंह, सोहन सिंह के नाम खरीद कर दी हो कतई असत्य व मनढत होने से अस्वीकार है इस कृषि भूमि को प्रार्थी व उसके पिता माती द्वारा सजन सिंह से अपने हिस्से के रूप मे प्राप्त किया जा चुका है बाकी कथन कतई मनगढत अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 प्रार्थी ने गलत रूप से दर्शाई है इस दफा में वर्णित कृषि भूमि की प्रताप सिंह ने चक 3 एस टी बी के खाता सं. 104/81 के प.नं. 179/118 के किला नं. 5, 6, व प.नं. 180/118 के किला नं. 1/1/0.190, 9, 10, की कुल 1.202 हैक. नहरी गैर .मु. रास्ता कृषि भूमि अपनी पैतृक सम्पति की आय से अपने पुत्रो सजन सिहं, मोहन सिंह, सोहन सिंह के नाम खरीद कर दी हो कतई असत्य व मनढत होने से अस्वीकार है बाकी कथन क़तई मनगढत अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है। कृषि भूमि सजन सिंह, मोहन सिंह, सोहन सिंह की खरीदशुदा स्वंय अर्जीत कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 प्रार्थी ने गलत रूप से दर्शाई है इस दफा में वर्णित कृषि भूमि की प्रताप सिंह ने चक 1 के एस डी के खाता सं. 160/149 के प.नं. 168/114 के किला नं. 17, 18, व प.नं. 169/113 के किला नं. 23, 24 व प.नं. 169/114 के किला नं. 13, 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17, 18, 24, 25/1/0.228, 25/2/0. 025 व प.नं. 169/115 के किला नं. 5/1/0.228, 5/2/0.025, व प.नं. 170/115 के किला नं. 1 की कुल 3.795 हैक. नहरी गैर मु. रास्ता कृषि भूमि को अपनी पैतृक सम्पति नही है। बाकी कथन कतई मनगढत अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 प्रार्थी ने गलत रूप से दर्शाई है जिसमे कथन कतई मनगढत अविधिक व असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने असत्य तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका किसी प्रकार का फायदा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी के नाम चक 5 एच आर पी के खाता सं. 33/19 में 337/1012 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीगण ने चक 5 यू एम डब्लयू के प.नं. 22/313 के किला नं. 13, 14, 15 में 1/3 हिस्सा का कब्जा होना दर्शाया है जो कतई अस्वीकार है। प्रार्थी का मिन अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे किसी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नही है प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा मिन अप्रार्थी के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे मिन अप्रार्थीगण को जान बुझकर पक्षकार बनाया है प्रार्थी मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 यू एम डब्लयू के खाता सं. 187/137 की कुल 5.060 हैक. जिसमे अप्रार्थी सं. 3/1, 3/2 व अप्रार्थी सं. 11 का हिस्सा अलग से दर्ज है जिसमे प्रार्थीगण को कोई हक निहित नही है प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण को जानबुझकर पक्षकार बनाया गया है प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी का किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलन नही बनता न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमेय क्षति हो रही है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested

विधिक आपत्ति

यह कि पार्थी द्वारा अपने वाद पत्र मे धारा 188 राज.का.अधि. के तहत किसी प्रकार का अनुतोष अपने वाद पत्र मे नही चाहा है वाद पत्र मे दर्शाए गए अभिकथनो के आलावा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.का.अधि. में किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नही

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है वाद पत्र मे शाश्वत व्यादेश से सम्बधिंत कोई कथन नही है इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीता नही है प्रार्थना पत्र अविधिक रूप से वाद पत्र मे बिना शाश्वत व्यादेश धारा 188 राज.का.अधि. के अन्तर्गत नही चाहा है इस कारण प्रार्थना पत्र अविधिक व आधारहिन होने के कारण खारिज फरमाया जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विधिक आपति प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है। मुताबिक स्टेट जवाब राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि पैत्रक कृषि भूमि है जो कि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है एवं कथन किया कि राजीनामा केवल अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 ता 9 के साथ हुआ है इस लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थाई व्यादेश जारी किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि वाद पत्र में राजस्व काश्ताकरी अधिनियम की धारा 188 वास्ते शाशवत व्यादेश प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं रकबा खरीद शुदा होना बताया गया आगे कथन किया कि विरासतन इंतकाल रूका हुआ है एवं प्रथम दृश्या मामला नहीं बनता है इस लिए प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1,2, 6 ता 9 के साथ राजीनामा तस्दीक हो चुका है एवं अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 3/1 एवं 3/2 का पिता मोहन सिंह व अप्रार्थी संख्या 4, 5 रिकॉर्डेड खातेदार है। शेष अप्रार्थी संख्या 7 ता 17 से वादी को वाद पत्र में कोई अनुतोष अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला नहीं बनता है एवं ना ही वादी द्वारा वाद पत्र में अस्थाई व्यादेश हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अधि. इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। दिनांक 05.07.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.12.05 15:28:01 IST
Reason: SelfAttested